निर्णय बईजलास श्री हरिमोहन मीना आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0नं0 48 / अपील / 21 तारीख दायरा 02.11.2021

उनवान अपील

01. रामेश्वर आ0 जगन्नाथ पाटीदार नि0 आंवलीकलां तहसील पचपहाड
02. ओमप्रकाश आ0 जगन्नाथ पाटीदार नि0 आंवलीकलां तहसील पचपहाड
03. पूरीलाल आ0 जगन्नाथ पाटीदार नि0 आंवलीकलां तहसील पचपहाड
04. प्रेमचन्द आ0 बाबूलाल पाटीदार नि0 आंवलीकलां तहसील पचपहाड

बनाम

01. रामलाल आ0 भैरू मेघवाल नि0 आवंलीकलां तहसील पचपहाड
02. संजूबाई पत्नी स्व0 बालचन्द मेघवाल नि0 आंवलीकलां तहसील पचपहाड
03. तहसीलदार पचपहाड़

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट विरूद्ध तहसीलदार पचपहाड़ मिसल न0 03 / प्रा0पत्र / 21 दिनांक: 26.10.2021 अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः— श्री अमितोष आचार्य, अभिभाषक अपीलान्ट्स
श्री विवेक जोषी,अभिभाषक रेस्पो0 1 व 2 की और से
पेरोकार सरकार

— निर्णय — दिनांक: 07.12.2021

यह अपील अपीलान्ट्स द्वारा तहसीलदार पचपहाड़ के आदेश दिनांक 26.10.2021 जो मिसल न0 3 / प्रार्थना पत्र / 2021 पर दिया गया से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है। अभिभाषक अपीलान्ट्स ने अपने अपील मीमों में निवेदन किया है कि उपखण्ड अधिकारी भवानीमण्डी में गोकुल आ0 रामलाल नि0 आवंलीकलां द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसको उनके द्वारा तहसीलदार पचपहाड को अग्रेषित किया गया। तहसीलदार पचपहाड द्वारा अप्रार्थीगण / अपीलान्ट्स को नोटिस दिये गये व भू अभिलेख निरीक्षक को मौका रिपोर्ट हेतु लिखा गया। बाद सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो न्याय,तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 183 बी में निर्धारित प्रकिया का पालन नही किया । विवाद बिन्दु का निर्माण नही किया। वादग्रस्त भूमि ख0न0 284 / 826 व 284 / 827 के संबन्ध में अपीलान्ट्स ने अपने पूर्वजों के खातेदारी रेकार्ड पेश किये जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नही दिया। बयान पश्चात जिरह का मौका नही दिया गया। मूल प्रा0पत्र तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया। पूरे प्रकरण की मौका रिपोर्ट नही मंगवाई गई। मौके पर मकान एवं रास्ता बना हुआ है। प्रस्तुत जवाब पर विचार नही किया व अपने आदेश में उसका उल्लेख नही किया गया। अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का अनुरोध किया गया।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 1 व 2 की ओर से अभिभाषक श्री विवेक जोषी का वकालतनामा प्रस्तुत हुआ व लिखित बहस प्रस्तुत की जिसकी प्रति अभिभाषक अपीलान्ट को दिलवाई गई। रेस्पो0 3 की और से पेरोकार सरकार उपस्थित हुए।

हमने बहस उभय पक्ष सुनी। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस अपील मीमो की पुष्ठी करते हुए व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 183 बी में निर्धारित प्रकिया का पालन नही किया। वादग्रस्त भूमि ख0न0 284 / 826 व 284 / 827 के संबन्ध में अपीलान्ट्स ने अपने पूर्वजों के खातेदारी रेकार्ड पेश किये जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नही दिया। पूरे प्रकरण की मौका रिपोर्ट नही मंगवाई गई। मौके पर मकान एंव रास्ता बना हुआ है। उपखण्ड अधिकारी झालावाड के समक्ष रेस्पोडेन्ट नाथूलाल वगै0 ने कब्जे को रोकने बाबत राजस्व वाद नाथूलाल बनाम जगन्नाथ प्रकरण संख्या 153 / 1981 प्रस्तुत किया गया था जिसमें दिनांक 03.01.1982 राजीनामा हो गया था और उस राजीनामें में रेस्पोडेन्ट ने उक्त आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा बताकर अपीलान्ट के खाते आराजी बांधने का अंकन किया था। 183 बी आर

जिला कलक्टर
झालावाड़

टी एक्ट के तहत कार्यवाही करने के लिये कब्जे की दिनांक से 12 वर्ष के अन्दर कार्यवाही आवश्यक है। अपीलान्ट का आराजी पर कब्जा 70 वर्षो से अधिक का है । अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का अनुरोध किया गया।

इस पर अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस की पुष्ठी करते हुए व्यक्त किया कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने आराजी प्रार्थीयान रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज होना माना जाकर अपीलान्ट्स का अवैधानिक कब्जा मानकर निर्णय पारित किया गया है जो उचित है। अपील खारिज की जावे।

पेरोकार सरकार ने अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित बताया।

हमने बहस उभय पक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में संलग्न दस्तावेज से यह तो साबित है कि वादग्रस्त भूमि ख0न0 284/826 व 284/827 के संबन्ध में अपीलान्ट्स के पूर्वजों के नाम संवत 2018–21 की खसरा गिरदावरी में दर्ज रेकार्ड है व इसी तरह पत्रावली में सलंग्न न्यायालय परगना अधिकारी झालावाड के समक्ष प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 183,188 राज0टी0एक्ट जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा ग्राम आवंलीकलां की आराजी ख0न0 284/825 व 284/826 की आराजी पर कब्जा बाबत प्रस्तुत किया गया था जिस पर दिनांक 03.01.1982 को राजीनामा तस्दीक हुआ था "निवेदन है कि हमवादी एवं प्रतिवादीगण हीरालाल, मथुरालाल, बापू सगे भाई है। और वादी ने प्रतिवादी न0–1 घासी 2–भैरू,3–नाथूलाल के नाम जो अराजी ख0न0 284/825 की 1/1,284/826 की एक बीघा 16 बीस्वा,284/287 की दो बीघा एक बीस्वा आराजी है वह गल्ती से इनके खाते में दर्ज हो गयी है। वह आराजी वापस वादीएवं मथुरालाल व बापू के खाते दर्ज करदी जावे। आराजी पर कब्जा भी वादी/प्रतिवादी हीरालाल,मथुरालाल व बापू का है। इसी मुताबिक राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर मुकदमा फैसल फरमाया जावे। अब हमारा कोई झगडा नही है।" इस प्रकार प्रथम दृष्टया यह तो साबित है कि उक्त वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट्स के पूर्वज किसी ना किसी रूप में काबिज रहे हैं। उक्त आराजी पर अपीलान्ट्स के मकानात भी बने होने के फोटो अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं। उक्त मकानात पुराने ही प्रतीत होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा शिकायती प्रा0पत्र/प्रकरण प्रस्तुत होने पर इस सम्बन्ध में कोई जांच करवाई गई हो दर्शित नही है। उपरोक्त विवेचन से प्रकरण पुनः जांच का मोहताज है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपहाड़ का निर्णय अपास्त कर इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार पचपहाड उक्तानुसार पूर्व में उपखण्ड कार्यालय में हुए राजीनामा व वादग्रस्त आराजी बाबत रेकार्ड की व आराजी पर बने हुए मकानात बाबत (कितने पुराने) विधि द्वारा सुस्थापित प्रकियानुसार जांच करवाकर उभय पक्ष को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए पुनः निर्णय पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपहाड के समक्ष दिनांकः 06 जनवरी 2022 को उपस्थित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापस भिजवाई जावे ।

निर्णय आज दिनांकः 07.12.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि मोहन मीना)
जिला कलक्टर
जिला कलेक्टर
झालावाड़